न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0नं0 — 187/2024

अनवान : —

1. मुकेश पुत्र बलवीर जाति जाट निवासी झांसल त0 भादरा जिला हनुमानगढ़।

:—वादी

बनाम

1. कमला पत्नी बलवीर जाति जाट निवासी झांसल त0 भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सुनीता पुत्री बलवीर जाति जाट निवासी झांसल त0 भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. बलवीर पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी झांसल त0 भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. सुमन पुत्री बलवीर जाति जाट निवासी झांसल त0 भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. सोनू पुत्री बलवीर जाति जाट निवासी झांसल त0 भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री नरेन्द्र शर्मा वादी
श्री राधेश्याम प्रतिवादी

निर्णय दिनांकः 19/2/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 5 जेएसएल के खाता सं0 168/2 के मु0 न0 105 के किला न0 14, 17 प्रत्येक किला की 0.253है0 बारानी, किला न0 24 की 0.126है0 बारानी, कुल 0.632है0 बारानी प्रतिवादी सं0 3 बलवीर के नाम व रोही चक 3 जेएसएल के खाता सं0 76/2 के मु0 न0 8 के किला न0 13, 18, 23 प्रत्येक किला की 0.253है0 नहरी, कुल 0.759है0 नहरी, प्रतिवादी सं0 3 बलवीर के नाम व रोही चक 2 जेएसएल के खाता सं0 79/72 के मु0 न0 5 के किला न0 2, 3 प्रत्येक किला की 0.253है0 नहरी, किला न0 4/1 की 0.127है0 नहरी, किला न0 7, 8, 9 प्रत्येक किला की 0.253है0 नहरी कुल 1.3920है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 3 बलवीर सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.25 16:42:33 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 6 की ओर से जवाब पेश किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि रोही मौजा 2 जेएसएल, 3 जेएसएल व 5 जेएसएल वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मोजा चक 5 जेएसएल के खाता सं0 168/2 के मु0 न0 105 के किला न0 14, 17 प्रत्येक किला की 0.253है0 बारानी, किला न0 24 की 0.126है0 बारानी, कुल 0.632है0 बारानी प्रतिवादी सं0 3 बलवीर के नाम व रोही चक 3 जेएसएल के खाता सं0 76/2 के मु0 न0 8 के किला न0 13, 18, 23 प्रत्येक किला की 0.253है0 नहरी, कुल 0.759है0 नहरी, प्रतिवादी सं0 3 बलवीर के नाम व रोही चक 2 जेएसएल के खाता सं0 79/72 के मु0 न0 5 के किला न0 2, 3 प्रत्येक किला की 0.253है0 नहरी, किला न0 4/1 की 0.127है0 नहरी, किला न0 7, 8, 9 प्रत्येक किला की 0.253है0 नहरी कुल 1.3920है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 3 बलवीर सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ–साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 3 के वादी व प्रतिवादी सं0 1, 2 व 4, 5 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। उपरोक्त वाद भूमि में वादी के साथ साथ प्रतिवादी सं 2 ता 5 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है इस प्रकार प्रतिवादी सं0 3 ने पैतृक सम्पति में से प्रतिवादी सं0 1 कमला जो कि प्रतिवादी सं0 3 की पत्नी है को बहिस्सा बराबर करवाने हेतु दावा पेश कियां है। **चूंकि हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार पैतृक सम्पति में पति की मृत्यु के उपरान्त पत्नी को उसकी सम्पति में हक मिलेगा। इस प्रकार पैतृक सम्पति में पति के जीवनकाल में पत्नी को पैतृक सम्पति में हिस्सा की घोषणा किया जाना न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाता है।**

अतः वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मोजा चक 5 जेएसएल के खाता सं0 168/2 के मु0 न0 105 के किला न0 14, 17 प्रत्येक किला की 0.253है0 बारानी, किला न0 24 की 0.126है0 बारानी, कुल 0.632है0 बारानी प्रतिवादी सं0 3 बलवीर के नाम व रोही चक 3 जेएसएल के खाता सं0 76/2 के मु0 न0 8 के किला न0 13, 18, 23 प्रत्येक किला की 0.253है0 नहरी, कुल 0.759है0 नहरी, प्रतिवादी सं0 3 बलवीर के नाम व रोही चक 2 जेएसएल के खाता सं0 79/72 के मु0 न0 5 के किला न0 2, 3 प्रत्येक किला की 0.253है0 नहरी, किला न0 4/1 की 0.127है0 नहरी, किला न0 7, 8, 9 प्रत्येक किला की 0.253है0 नहरी कुल 1.3920है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 3 बलवीर सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 3 बलवीर अकेले के बजाए वादी मुकेश, प्रतिवादी सं0 2 सुनीता व प्रतिवादी सं0 3 बलवीर को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 4 व 5 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...15.1.25... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.25 16:42:33 IST
Reason: SelfAttested